

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अलावडा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं० 1/211/17

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

उनवान

1. बशीरा पुत्र श्री हसमल जाति मेव निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ ।

.....वादी

बनाम

1. जिन्दा सैनी पुत्र नामालूम सैनी
2. रमेश
3. रामजीलाल सैनी पुत्रांन जिन्दा सैनी
4. मुन्शी सैनी
5. प्रभु सैनी
6. रामजीलाल पुत्रांन किशन लाल सैनी
7. लालचन्द खटीक पुत्र मुन्शी जातियान सैनी
8. छोटू सरदार पुत्र हरमिन्दर सिंह जाति सिक्ख
9. जगमोहन पुत्र छोटेलाल सैनी
10. बिहारी पुत्र चांचल सैनी
11. मदनलाल पुत्र भोजाका
12. लक्खी सैनी पुत्र श्रवण सैनी
13. बुद्धा पुत्र चेता सैनी
14. अमरसिंह पुत्र किशनलाल
15. सुआराम सैनी पुत्र नन्दराम
16. फूलचन्द पुत्र मोती
17. जयन्ती पुत्र फूलचन्द
18. रामकिशन पुत्र सुआलाल
19. प्रताप पुत्र सुआलाल
20. जगदीश पुत्र मदनलाल जातियान सैनी
21. नरेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल सोनी निवासियान ग्राम अलावडा तह० रामगढ जिला अलवर।
.....असल प्रतिवादीगण
22. रूजदार पुत्र मोरमल
23. रिहाना पत्नी स्व० ईदरीश
24. साहुन
25. साहिल
26. सामिन पुत्र स्व० ईदरीश जातियान मेव निवासियान ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।
.....तरतीबी प्रतिवादीगण
27. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, रामगढ अलवर।



(2)

.....तकमीली प्रतिवादी
(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2256 रकबा 0.11, 2257 रकबा 0.10, 2258 रकबा 0.05, 2259 रकबा 0.02, 2260 रकबा 0.04, 2261 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 22 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 23 ला0 26 के पति व पिता ईदरीश (मृतक) ने जयें रजिस्टर्ड बयनामा के दिनांक 06.07.92 को खरीद किया था जिसका बयनामा वादी के हक में है। जिस पर जयें इन्तकाल बय के हाल जमाबन्दी में उसका नाम बतौर मालिक खातेदार के 2/3 हिस्सा दर्ज अमल चला आ रहा है। जिस पर वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। जबकि असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी उक्त आराजी से गैर काबिज शख्स है। परन्तु प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के है। जो लठ के बल से जबरन विवादित आराजी को हडप करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादनी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर असल प्रतिवादीगण को जयें स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2256 रकबा 0.11, 2257 रकबा 0.10, 2258 रकबा 0.05, 2259 रकबा 0.02, 2260 रकबा 0.04, 2261 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित में वादीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की रुकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शकल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब किया गया।


पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा में दिनांक 07.06.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। वादी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। वादी को सुना गया।

(3)

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा में दिनांक 07.06..2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी विवादित आराजी के खातेदार है। वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2256 रकबा 0.11, 2257 रकबा 0.10, 2258 रकबा 0.05, 2259 रकबा 0.02, 2260 रकबा 0.04, 2261 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर की वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में नियमानुसार पैमाईश कराना सुनिश्चित करें। बाद पैमाईश वादी व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत अलावडा में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अलावडा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं० 1/211/17

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

(पर्चा डिक्री


उनवान

1. बशीरा पुत्र श्री हसमल जाति मेव निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ ।

.....वादी

बनाम

1. जिन्दा सैनी पुत्र नामालूम सैनी
2. रमेश
3. रामजीलाल सैनी पुत्रांन जिन्दा सैनी
4. मुन्शी सैनी
5. प्रभु सैनी
6. रामजीलाल पुत्रांन किशन लाल सैनी
7. लालचन्द खटीक पुत्र मुन्शी जातियान सैनी
8. छोटू सरदार पुत्र हरमिन्दर सिंह जाति सिक्ख
9. जगमोहन पुत्र छोटेलाल सैनी
10. बिहारी पुत्र चांचल सैनी
11. मदनलाल पुत्र भोजाका
12. लक्खी सैनी पुत्र श्रवण सैनी
13. बुद्धा पुत्र चेता सैनी
14. अमरसिंह पुत्र किशनलाल
15. सुआराम सैनी पुत्र नन्दराम
16. फूलचन्द पुत्र मोती
17. जयन्ती पुत्र फूलचन्द
18. रामकिशन पुत्र सुआलाल
19. प्रताप पुत्र सुआलाल
20. जगदीश पुत्र मदनलाल जातियान सैनी
21. नरेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल सोनी निवासियान ग्राम अलावडा तह० रामगढ जिला अलवर।
.....असल प्रतिवादीगण
22. रूजदार पुत्र मोरमल
23. रिहाना पत्नी स्व० ईदरीश
24. साहुन
25. साहिल
26. सामिन पुत्र स्व० ईदरीश जातियान मेव निवासियान ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।
.....तरतीबी प्रतिवादीगण
27. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, रामगढ अलवर।




(2)

.....तकमीली प्रतिवादी
(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2256 रकबा 0.11, 2257 रकबा 0.10, 2258 रकबा 0.05, 2259 रकबा 0.02, 2260 रकबा 0.04, 2261 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर की वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में नियमानुसार पैमाईश कराना सुनिश्चित करें। बाद पैमाईश वादी व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)